@shahjahanpurpol

प्रेस नोट सराहनीय कार्य दिनांक 18.07.22

***थाना कांट पुलिस ने की त्वरित कार्यवाही, ***

छलपूर्वक की गयी चोरी की घटना का पाँच घण्टे के अन्दर किया खुलासा,

कार व कार मे रखे शत प्रतिशत 21 लाख रूपये किये बरामद, शातिर अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 17.07.2022 की रात्रि को थाना कांट पर वादी श्री अंकुर बंसल पुत्र राजेन्द्र बंसल निवासी – गली नं0 1 , गीता मार्ग , श्रीनगर ,थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ द्वारा सूचना दी कि मै पुस्तक पब्लिकेशन का व्यापारी हूँ तथा शाहजहँपुर मे कैश कलैक्ट करने आया था । कैश कलेक्शन के बाद मेरे चालक प्रमोद कुमार निवासी – चन्द्रलोक जनपद हापुड़ द्वारा छलपूर्वक (कार को बैक करने के बहाने से) वादी की कार UP-15-DD-5025 एवं कार में रखे 21 लाख रुपये चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में सूचना दी । सूचना पर तत्काल थाना कांट पर मु0अ0सं0 371/2022 धारा 420/407/379 भादवि पंजीकृत कराया गया।

घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए श्री एस आनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर द्वारा श्री संजय कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन एवं श्री अरविन्द कुमार, क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व मे प्रभारी निरीक्षक कांट सहित पुलिस टीम का गठन किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी व रूपये की शत प्रतिशत बरामदगी हेतु निर्देश दिये गये। पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर द्वारा पुलिस टीम का पर्यवेक्षण स्वंय किया जा रहा था।

इसी क्रम मे थाना कांट पुलिस टीम द्वारा लगातार गाडी का पीछा करना प्रारम्भ किया तथा सर्विलांस व स्थानीय पुलिस के सहयोग से अभियुक्त का पीछा करते हुये जनपद अमरोहा के थाना रजबपुर क्षेत्रान्तर्गत दिल्ली हाइवे पर ग्राम खाता के सामने ओवरब्रिज के नीच से अभियुक्त प्रमोद को देर रात्रि मे गिरफ्तार किया गया तथा कब्जे से चोरी की गयी वेन्यू कार नम्बर UP-15-DD-5025 व शत प्रतिशत 21 लाख रुपये बरामद किये गये । बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त –

प्रमोद कुमार पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम खादमोहनपुर थाना श्याना जनपद बुलन्दरशहर उम्र करीब 38 वर्ष

गिरफ्तारी का दिनांक व घटनास्थल –

दिनांक 17/18.07.2022 की देर रात्रि दिल्ली हाइवे पर जनपद अमरोहा में थाना रजबपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम खाता के सामने ओवरब्रिज के नीचे

बरामदगी का विवरण –

1. 21 लाख रुपये नगद ।
2. वाहन कार वेन्यू UP-15-DD-5025।

पंजीकृत अभियोग –

1-मु0अ0सं0 371/2022 धारा 420/407/379 भादवि

***पूछताछ विवरण –**

गिरफ्तार अभियुक्त प्रमोद कुमार पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम खादमोहनपुर थाना श्याना जनपद बुलन्दरशहर उम्र करीब 38 वर्ष ने पूछताछ पर बताया कि मैं अंकुर बंसल पुत्र राजेन्द्र बंसल निवासी – गली नं0 1 , गीता मार्ग , श्रीनगर ,थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ की गाड़ी चलाता हूँ। मुझे पैसों की जरूरत थी। जब मैं इनके साथ कांट जनपद शाहजहाँपुर आया तो रुपये देखकर मेरे मन में लालच आ गया। मैं मौका देखकर गाड़ी लेकर भाग गया।

उल्लेखनीय यह है अभियुक्त के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर मे हत्या व हत्या का प्रयास आदि जघन्य अपराध कारित किये जाने के सम्बन्ध मे अभियोग पंजीकृत है तथा वादी द्वारा बिना पुलिस वैरिफिकेशन के अपनी कार का चालक रख लिया था।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 51/2005 धारा 302/201 भादवि थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर
2. मु0अ0सं0 108/2007 धारा 307 भादवि थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर
3. मु0अ0सं0 137/2007 धारा 307 भादवि थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर
4. मु0अ0सं0 138/2005 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर
5. मु0अ0सं0 141/2006 धारा 307/323/324/506 भादवि थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर
6. मु0अ0सं0 199/2004 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर
7. मु0अ0सं0 244/2011 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर
8. मु0अ0सं0 324/2008 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार त्यागी थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर
2. उ0नि0 सतेन्द्र कुमार थान कांट जनपद शाहजहाँपुर
3. उ0नि0 विकास कुमार थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर
4. हे0का0 143 विजय प्रताप सिंह थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर
5. हे0का0 302 शहनवाज आलम थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर
6. का0 1716 शुभम सिंह थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर
7. का0 570 दिनेश कुमार थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर

पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर द्वारा पुलिस टीम को अतिशीघ्र घटना का अनावरण करने पर उत्साहवर्धन हेतु 25000/- रूपये नगद इनाम देने की घोषणा की गयी।

वादी ने स्थानीय पुलिस द्वारा की गयी त्वरित कार्यवाही कर अभियुक्त की गिरफ्तारी व शत प्रतिशत बरामदगी हेतु शाहजहाँपुर पुलिस का कोटि-कोटि धन्यवाद देते हुए आभार प्रकट किया।